

कार्यालय,
सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,

उत्तर प्रदेश लखनऊ

संख्या:- प्राशिच/परिषद सम्बद्धता/2023/12090001

लखनऊ: दिनांक: 12-09-2023

:कार्यालय जाप:-

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् एवं फार्मसी काउन्सिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली द्वारा शैक्षिक सत्र 2023-24 हेतु पूर्व से संचालित डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थानों को अनुमोदन विस्तार प्रदान किये जाने के उपरांत प्राविधिक शिक्षा परिषद्, 30 प्र० लखनऊ से सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने के सम्बन्ध में क्रमशः दिनांक 25-07-2023 एवं दिनांक 02-08-2023 को परिषद् कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में सत्र 2023-24 हेतु अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्/फार्मसी काउन्सिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली द्वारा संस्थाओं को प्रदत्त अनुमोदन विस्तार एवं सम्बद्धता समिति द्वारा लिए गए निर्णय के अनुक्रम में संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद्, 30 प्र० लखनऊ द्वारा सत्र 2023-24 हेतु निम्नांकित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 1543-NORTH INDIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY

क्र०सं०	पाठ्यक्रम का नाम	ए०आई०सी०टी०ई०/ पी०सी०आई० द्वारा सत्र 2023-24 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद् द्वारा सत्र 2023-24 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	CIVIL ENGINEERING	60	60
2	MECHANICAL ENGINEERING	90	90

सम्बद्धता हेतु शर्तें

✓ प्राविधिक शिक्षा, अनुभाग-3 उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या 311/16-3099/9/2022 टी०सी०-1 दिनांक 18 मई 2023 द्वारा पूर्व से संचालित समस्त संस्थानों की जाँच के विरुद्ध माननीय न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या 5027/2023 में माननीय न्यायालय के अंतिम निर्णय के अधीन संबद्धता निर्गत की जाती है।

संख्या:- प्राशिक्ष/परिषद/सम्बद्धता/2022/7817

लखनऊ, दिनांक: 30/08/2022

कार्यालय भाष:-

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/कार्मसी काउन्सिल ऑफ इंजिनियरिंग, नई दिल्ली द्वारा शैक्षिक सत्र 2022-23 हेतु दिव्योत्सव स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरान्त प्रादेशिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 30/08/2022 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समितियों की बैठक संघन हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2022-23 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता/पूर्व से संजालित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/पाठ्यक्रम/प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य मर्तों पर विचार करती हुए सत्र 2022-23 हेतु सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्रादेशिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० लखनऊ द्वारा सत्र 2022-23 हेतु निम्नांकित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उत्तम अखिल प्रदेश क्षमता हेतु सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 1543-NORTH INDIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY

ए०आर०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० परिषद द्वारा सत्र 2022-

क्र०स० पाठ्यक्रम का नाम द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित 23 हेतु अनुमोदित प्रदेश

क्र०स०	पाठ्यक्रम का नाम	प्रवेश क्षमता	क्षमता
1	CIVIL ENGINEERING	60	60
2	MECHANICAL ENGINEERING	90	90

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए०आर०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्रादेशिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्रादेशिक शिक्षा परिषद विनियमवली 1992, विनियमवली-2000, सेक्टर विनियमवली-2016 तथा समय-समय पर निर्गत शासनदर्यों का अनुपालन करेगी तथा कुलक नियंत्रण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय इंचुई० पाठ्यक्रमों हेतु ₹० 30150.00/-, प्रतिवर्ष, दो वर्षीय कार्मसी पाठ्यक्रम हेतु ₹०- 45000.00/-, प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय कार्मसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु ₹०- 22500.00/-, प्रतिवर्ष कुल्य ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जाएगा; उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनदेश प्रभावी होंगे, और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। कीस नियंत्रण समिति द्वारा वारि सत्र 2022-23 हेतु कीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो कीस की नवीनतम दरें लागू होंगी।

✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा।

✓

कार्यालय,**राष्ट्रीय प्राविधिक शिक्षा परिषद,****जलदर प्रदेश राजधानी।****संख्या: प्राधियापरिषद सम्बद्धता/2021/13537****राजधानी: दिनांक: 09/08/2021****:कार्यालय राधा:**

प्रखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली, कार्मसी काउन्सिल ऑफ इंजिनियरिंग, नई दिल्ली द्वारा शैक्षिक सत्र 2021-22 हेतु दिल्लीका स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरान्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, उपाध्यक्ष राजधानी सम्बद्धता/राजधानी विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 08/08/2021 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता सन्निधि की बैठक संयोजन हुई। बैठक में सन्निधि द्वारा सत्र 2021-22 हेतु आवंटित नई संस्थाओं को सम्बद्धता प्रदान करने हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान करने के सम्बद्धता विस्तार प्राधिकरण/प्रदेश समन्वय बोर्ड सन्निधि द्वारा जारी परिचय करते हुए सत्र 2021-22 हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान करने के निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता सन्निधि की बैठक में विवेचन के अनुक्रम में विभिन्न संस्थाओं को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उपाध्यक्ष राजधानी द्वारा सत्र 2021-22 हेतु विभिन्न विधायकों के अधीन प्राधिकरण एवं उसमें अधिकतम प्रदेश समन्वय हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का नाम एवं नाम : 1543-NORTH INDIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY, NAZIBABAD, BILNORE

क्रमांक	प्राधिकरण का नाम	परास्त्रीकरण/परास्त्रीकरण	परिषद द्वारा सत्र
1	CIVIL ENGINEERING	द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित	2021-22 हेतु
2	MECHANICAL ENGINEERING	प्रदेश समन्वय	अनुमोदित प्रदेश समन्वय
		120	120
		120	120

सम्बद्धता हेतु जारी

✓ संस्था परास्त्रीकरण/परास्त्रीकरण द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।

✓ संस्था द्वारा उद्योग प्राविधिक शिक्षा परिषद उद्योग 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमनकारी 1982 से सम्बन्धित विनियमनकारी 2016 तथा अन्य निर्धारित नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण सन्निधि द्वारा निर्धारित शुल्क तैयार करेगी। उद्योग प्रक्रीण प्राधिकरणों हेतु रु० 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय कार्मसी प्राधिकरण हेतु रु०-45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय प्राधिकरणों (दो वर्षीय कार्मसी प्राधिकरण के अतिरिक्त) हेतु रु०-22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क की प्रतीक उपाध्याय से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त उपाध्यायों से शुल्क के सम्बन्ध में संस्था-संस्था एवं संस्था द्वारा निर्धारित विवेचन के बाद संस्था-संस्था प्रक्रीण शैक्षिक और तदनुसार